

आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, अहमदाबाद जिला,

7वीं मंजिल, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बिल्डिंग, आम्बालाडी, अहमदाबाद-380019

सूत्रांक: (079) 26603612 ई-मेल: ccuahmedabad@gmail.com फ़ैक्स: (079) 26603607

स्थापना आदेश सं. - 53/2014

दिनांक: 14 अक्टूबर, 2014

विषय : संवर्ग पुनर्संरचना का 15 अक्टूबर, 2014 से कार्यान्वयन के संबंध में ।

संवर्ग पुनर्संरचना (Cadre Restructuring) से संबंधित बोर्ड के पत्र फा.सं. A.11019/98/2013-Ad.IV, दिनांक: 01.08.2014 एवं संवर्ग पुनर्संरचना के 15 अक्टूबर, 2014 से कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप निम्नलिखित अधिकारियों को 15 अक्टूबर, 2014 से नीचे दर्शाये अनुसार आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से (temporary basis) स्थानांतरित एवं तैनात किया जाता है:

(A) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क डिप्टिजन-III (ओडव डिप्टिजन), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-III आयुक्तालय में वर्तमान में कार्यरत ग्रुप-"बी" (राजपत्रित एवं अराजपत्रित) एवं ग्रुप-"सी" संवर्ग के अधिकारी आगामी आदेश तक उसी स्थल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-III के प्रशासनिक निरीक्षण में नव सृजित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडल-V (ओडव डिप्टिजन) के अधिकारी के रूप में कार्य करते रहेंगे ।

(B) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट आयुक्तालय के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गाँधीधाम डिप्टिजन में वर्तमान में कार्यरत ग्रुप-"बी" (राजपत्रित एवं अराजपत्रित) एवं ग्रुप-"सी" संवर्ग के अधिकारी आगामी आदेश तक उसी स्थल पर नव सृजित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कच्छ आयुक्तालय के अधिकारी के रूप में कार्य करते रहेंगे ।

(C) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-III आयुक्तालय एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-III आयुक्तालय के ऑडिट सेक्शन में वर्तमान में कार्यरत ग्रुप-"बी" (राजपत्रित एवं अराजपत्रित) एवं ग्रुप-"सी" संवर्ग के अधिकारी आगामी आदेश तक उसी स्थल पर नव सृजित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, ऑडिट-III आयुक्तालय के अधिकारी के रूप में कार्य करते रहेंगे । अधिकारी नव सृजित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, ऑडिट-III आयुक्तालय में भी अपने ऑडिट प्लान के साथ कार्य करते रहेंगे ।

(D) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-III आयुक्तालय एवं सेवा कर आयुक्तालय, अहमदाबाद के ऑडिट सेक्शन में वर्तमान में कार्यरत ग्रुप-"बी" (राजपत्रित एवं अराजपत्रित) एवं ग्रुप-"सी" संवर्ग के अधिकारी आगामी आदेश तक उसी स्थल पर नव सृजित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, ऑडिट-III आयुक्तालय के अधिकारी के रूप में कार्य करते रहेंगे । अधिकारी नव सृजित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, ऑडिट-III आयुक्तालय में भी अपने ऑडिट प्लान के साथ कार्य करते रहेंगे ।

(E) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट आयुक्तालय एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर आयुक्तालय के ऑडिट सेक्शन में वर्तमान में कार्यरत ग्रुप-"बी" (राजपत्रित एवं अराजपत्रित) एवं ग्रुप-"सी" संवर्ग के अधिकारी आगामी आदेश तक उसी स्थल पर नव सृजित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, ऑडिट-III आयुक्तालय के अधिकारी के रूप में कार्य करते रहेंगे । अधिकारी नव सृजित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, ऑडिट-III आयुक्तालय में भी अपने ऑडिट प्लान के साथ कार्य करते रहेंगे ।

02. उपरोक्त सभी अधिकारियों को 14.10.2014 के आदेश में उनके वर्तमान आयुक्तालय/डिप्टिजन के वर्तमान कार्यरत (अहमदाबाद) से कार्यरत नए नए स्थल एवं उनके वर्तमान आयुक्तालयों में उनके वर्तमान स्थल पर ही कार्य के संबंध में वर्तमान स्थल / स्थान को सौंपित किये गये 15.10.2014 के आदेश में परिवर्तन करने का निर्देश दिया गया है ।

03. उपरोक्त आदेश वाले आयुक्तालयों को संबंधित नए नए स्थल, अस्थायी प्रकार के हैं । उपरोक्त आयुक्तालयों के अधिकारियों को विकल्प आदेश सीधे ही जारी किये जायेंगे ।

17. आयुक्तों से अनुरोध किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कार्यमुक्त होने वाले अधिकारियों को अपने अनुगामी / उनका कार्यभार लेने वाले अधिकारियों को कार्यभार देने संबंधी उचित नोट सौंप दी है।

08. यह आदेश मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(डॉ. अमोज कुमार रजक)  
अपर आयुक्त (सु.आ.आ.)

सा. सं. II/03-17/CCO /2014.Part-I

दिनांक: 14.10.2014

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, वडोदरा क्षेत्र ।
2. मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद ।
3. महानिदेशक (ऑडिट), नई दिल्ली/अपर महानिदेशक (ऑडिट), अहमदाबाद ।
4. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-1/ अहमदाबाद-2/ अहमदाबाद-3/ सेवा शर, अहमदाबाद/ राजकोट/ भावनगर/ वडोडा।
5. आयुक्त, सीमा शुल्क, अहमदाबाद/भावनगर/कांठला/मुंद्रा ।
6. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा शर, ऑडिट-1, II अहमदाबाद/ एवं ऑडिट-2, राजकोट ।
7. सहायक सचिव, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, सर्वे एवं रजिस्ट्रार अहमदाबाद (सहायक) अधिकारी, राज, अहमदाबाद, राजकोट ।
8. मुख्य सहायक अधिकारी, अहमदाबाद (सहायक), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-1/ अहमदाबाद-2/ सेवा शर, अहमदाबाद, राजकोट/ भावनगर ।
9. क्षेत्र एवं सीमा अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा शर अहमदाबाद ।
10. सचिव (सी.आ.)
11. डी.आ.आ. ।
12. सचिव (सि.आ.आ.), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-1 (इस आदेश की प्रतिलिपि वेबसाइट पर उपलब्ध रहे के लिए अनुरोध किया जाता है) ।